[illegible]	[illegible]

वादिनी को पक्षकार बनाया जाता है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी नं. 10 पक्षकार बनाये जाने के अतिरिक्त पूरा करने की कृपा करें। वकील वादिगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी नं. 10 पक्षकार बनाया जाता है। उक्त संशोधन लाल स्याही से किया जावे। वादिनी को पुनिवादी सं. 10 पर पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना पत्र 15/10/2020 को पेश हो।

15-10-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 10 की तामिल शपथ पत्र से हो चुकी है। बावजूद शपथ तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वादिगण सुनी गयी। बहस बहस वकील वादिगण ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुकदमा अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रिकार्ड, दस्तावेजात मुख्य परीक्षण हेतु पेशशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादिगण पर सगौर मनन किया गया जिनसे वाद वादिगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15-10-2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
सहायक कलक्टर RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) [illegible]

Scanned with CamScanner